न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र.सं. 24/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
रामजीलाल पुत्र रामधन जाति मीना निवासी मलवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री यशवंत मीना उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान जिला दौसा
2. गणपतसिंह पुत्र भौमसिंह
3. शंकरसिंह पुत्र भौमसिंह
   जाति राजपूत निवासी मलवास तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा
4. कालूराम पुत्र भौरीलाल
5. गोपाल पुत्र भगवानसहाय
6. पूनीराम पुत्र रामधन
7. परसराम पुत्र पाँचूराम
8. फूला पुत्री रामधन
9. फैलीराम पुत्र रामधन
10. मूली देवी पत्नि रामधन
11. रामकिशन पुत्र रामफूल
12. रामकिशोर पुत्र रामफूल
13. लाली पुत्री रामधन
14. सोमोती पुत्री रामफूल
15. हरलाल पुत्र भगवानसहाय
    समस्त जाति मीना निवासी मलवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
16. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा
17. इंडियन आवरसीज बैक शाखा दौसा जरिये शखा प्रबधंक
18. स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा नांगल राजावतान जरिये शाखा प्रबधंक

.....अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान बाबत मुकदमा उनवानी रामजीलाल बनाम गणपत सिंह वाद नंबर /2025 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नंबर 2/2025 जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.4.2025 नियत है।

उपस्थित : 1. श्री मुकेश कुमार गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से।

दिनांक: 25.6.2025

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में विचाराधीन मुकदमा रामजीलाल बनाम गणपत सिंह वाद नंबर /2025 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नंबर 2/2025 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

जिला कलेक्टर, दौसा

2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान के समक्ष एक वाद तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अनुवानी रामजीलाल बनाम गणपतसिंह का पेश किया जिसमे आगामी तारीख पेशी 9.04.2025 नियत है। उक्त अनुवानी वाद दिनांक 4.03.2025 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और उक्त वाद में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु प्रथम तारीख पेशी दिनांक 9.04.2025 नियत की गयी थी। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 9.04.2025 नियत थी किन्तु प्रार्थी को 18.03.2025 को उक्त प्रकरण के नोटिस प्राप्त हुए. और आगामी तारीख पेशी 26.03.2025 नियत की गयी तो प्रार्थी दिनांक 18.03.2025 को नांगल न्यायालय मे उक्त नोटिस के बारे मे तलाश करने के लिये गया तो प्रार्थी ने देखा कि अप्रार्थी नंबर 2 व 3 व उनके साथ दो अन्य लोग पीठासीन अधिकारी जी के चैम्बर मे बैठे थे तथा बातचीत कर रहे थे तो प्रार्थी ने रीडर साहब से उक्त नोटिस के बाबत तलाश किया तो रीडर साहब ने बताया कि अप्रार्थी नंबर 2 व 3 ने उक्त केस मे जल्दी सुनवायी का प्रार्थना पत्र पेश किया है और साहब उक्त केस का निर्णय दिनांक 26.03.2025 को करेगे आप आपके वकील को लेकर आ जाना। प्रार्थी पीठासीन अधिकारी जी से मिलने के लिये इंतजार करने लग गया तथा न्यायालय के बाहर बैठा था तो अप्रार्थी नंबर 2 व 3 के साथ आये हुए दो अन्य लोगो ने प्रार्थी को कहा कि उक्त भूमि को हमने अप्रार्थी नंबर 2 व 3 से खरीद लिया है और पीठासीन अधिकारी जी से हमारी बातचीत हो गयी है हमारी राजनैतिक पहुच बहुत उची है अब तू कुछ भी कर लेना हम इस प्रकरण को तो दिनाक 26.03.2025 को निर्णय करवा लेगे और इस जमीन की बिना तकास्मा ही हमारे नाम रजिस्टरी करवाकर रोड की जमीन पर कब्जा करके निर्माण करेगें। अप्रार्थी नंबर 2 व 3 व उनके साथ आये हुए अन्य लोगो के जाने बाद प्रार्थी पीठासीन अधिकारी जी से मिला तो पीठासीन अधिकारी जी ने भी कहा कि आप तो 26.03.2025 को आपके वकील को ले आओ उस दिन निर्णय कर देगे तो प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी जी के रवैये से व अप्रार्थी नंबर 2 व 3 के साथ आये हुए लोगो द्वारा धमकी देने के कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी जी से न्याय की कतई उम्मीद नही रही है और जहाँ न्याय की उम्मीद नही हो वहाँ प्रकरण की सुनवायी किया जाना कतई न्यायोचित नही है इसलिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। न्याय का यह सार्वभौम सिदान्त है कि न्याय हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए और जहाँ न्याय होता प्रतीत नही होता हो वहाँ प्रकरण की सुनवायी किया जाना कतई न्यायोचित नही है। प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय होता प्रतीत नही हो रहा है इसलिये इस प्रकरण की विधिवत सुनवायी हेतु इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान के समक्ष विचाराधीन वाद अनुवानी रामजीलाल बनाम गणपतसिंह वाद नंबर व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अनुवानी जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.04.2025 नियत है कों किसी अन्य सक्षम न्यायालय सुनवायी करने हेतु स्थानान्तरण करने के आदेश फरमावें ।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जा रहे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 3 ने बहस में कथन किया कि न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। प्रार्थी प्रकरण में देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
6. उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान ने टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये जाकर समुचित सुनवाई के अवसर दिये जा रहे है। दावा पत्रावली जवाब में लंबित होकर पेशी दिनांक 26.5.2025 नियत है। साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बहस में लंबित होकर 26.5.2025 नियत है। प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई के अवसर प्रदान किये जा रहे है। यदि प्रार्थी को इस न्यायालय से न्याय की आशा नहीं है तो न्याय हित एवं पक्षकारान के हित एवं प्रकरण के निस्तारण किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थी का कथन है कि पीठासीन अधिकारी को अप्रार्थी के द्वारा बातचीत करते हुए देखा। एवं उन्हें कहा गया कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है व हमारी राजनीतिक पहुँच बहुत उंची है और कुछ भी कर लेना हम इस प्रकरण में दिनांक 26.5.2025 को निर्णित करा लेगे और प्रकरण में बिना तकास्मा कराये रोड की जमीन पर कब्जा करेंगे। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के संबंध में किसी भी प्रेकार का कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं ककिया गया है। यहा तक कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका उनके द्वारा पारित कोई विधि विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पत्रावली में अनावश्क विलंब करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.6.2025 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested